सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थनापत्र सं. 46/2014

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

रामप्रसाद पुत्र लादूराम रेगर निवासी ग्राम राजपुरा तहसील सावर जिला अजमेर
—वादी

♠ बनाम ♠

1. प्रभात पुत्र कामड रेगर निवासी ग्राम उन्दरी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. पप्पू उर्फ रामेश्वर पुत्र गोकल रेगर
3. ओमप्रकाश पुत्र गोकल रेगर
4. शिवदयाल पुत्र गोकल रेगर
5. समस्त जाति रेगर निवासीगण सदारी तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान

———प्रतिवादीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 06.06.2018

पत्रावली आज दिनांक 06.06.2018 को केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प टांकावास में पेश हुई। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की प्रार्थनापत्र वर्णित भूमि वाके ग्राम राजपुरा तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2068–71 के खाता नम्बर 187 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 786 रकबा 0.24 है. भूमि प्रार्थी के पिता लादू पुत्र हरजी कौम रेगर के नाम खातेदारी में दर्ज है जो लादू की मृत्यु के पश्चात जरिये नामान्तकरण संख्या 525 दिनांक 20.12.2013 से उसके वारिसान हीरा देवी पत्नि स्व. लादूराम, रामप्रसाद पुत्र लादूराम, मेवा, प्रेम, काली, कान्ता, विमला पुत्री लादूराम रेगर के नाम अंकन स्वीकर हुआ एवं तत्पश्चात जरिये नामान्तकरण संख्या 540 दिनांक 04.03.2014 से सम्पूर्ण खाता रामप्रसाद पुत्र लादूराम कौम रेगर सा. देह खातेदार के नाम अंकन स्वीकार हुआ। प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी प्रार्थी के कब्जे, काश्त, स्वामित्व व आधिपत्य में बतौर खातेदार काश्तकार चली आ रही है एवं राजस्व लगान भी प्रार्थी की अदा करता चला आ रहा है। प्रार्थी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक अधिकार नही है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की प्रार्थनापत्र वर्णित आराजीयात को जबरन कब्जा करने के उद्देश्य से दिनांक 10.05. 2014 से प्रार्थी के कब्जे, काश्त में बाधा उत्पन्न कर रहे है एवं प्रार्थी को जबरन बेदखल करने पर आमादा है एवं प्रार्थी द्वारा मना करने पर मारपीट इत्यादी करते है।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थीगण की और अधिवक्ता श्री नन्दकिशोर वर्मा उपस्थित । अप्रार्थीगण स. 1 की और से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में अप्रार्थीगण को बहस हेतु दिनांक 20.11.2015 से दिनांक 16.1.2017 बहस हेतु 11 मौके दिये गये फिर भी पत्रावली में एक अन्तिम अवसर और दिया गया। पत्रावली में अन्तिम अवसर दिये जाने पर भी बहस हेतु समय चाहा गया अतः 100/–कोष्ठ प्रत्येक पक्षकार पर बहस हेतु पुनः समय दिया गया।

जवाब प्रार्थनापत्र अप्रार्थीगण स. 1 के अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात पर अप्रार्थी स. 1 का कब्जा स्वामित्व आज से 10–12 से पूर्व से ही चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात के हाल खसरा नम्बर 786 रकबा 0.24 है. को प्रार्थी रामप्रसाद ने 10–12 साल पहले अप्रार्थी प्रभात को सात लाख रूपये में बेचान कर दी एवं कब्जा दखल आधिपत्य अप्रार्थी प्रभात को सुपुर्द कर दिया था। उक्त सोदे की रकम में से आज दिवस तक प्रार्थी रामप्रसाद के पास 5,82,800रूप्ये प्राप्त कर चुका है। और दिनांक 2.3.2014 को एक इकरार नामा तहरीर व तकमील कर दिया था। वर्तमान में जर्ये नामान्तरण से उक्त आराजीयात रामप्रसाद के नाम दर्ज होने से अप्रार्थी प्रभात ने रजिस्ट्री करवाने हेतु कहा तो प्रार्थी रामप्रसाद ने मना कर दिया। इसके बाद रामप्रसाद को एक विधिक नोटिस जर्ये अधिवक्ता प्रेषित किया एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 ,406, 392 के तहत दर्ज करवाया ।

वर्तमान में उक्त आराजीयात पर अप्रार्थी स. 1 का ही कब्जा चला आ रहा है। अतः प्रस्तुत जवाब प्रार्थना [illegible] स. 1 का स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. का खारिज फरमावें।

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प टांकावास में पेश हुई । हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वाद वर्णित आराजीयात वादी की स्वयं खातेदारी की आराजीयात होने से वादी का वाद प्राईमाफेसाइ केस होना जाहिर होता है तथा वाद का संतुलन वादी के पक्ष में है।

अतः वादी का वाद वाके ग्राम राजपुरा तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2068–71 के खाता नम्बर 187 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 786 रकबा 0.24 है. भूमि का स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को तावाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें एव न ही वादी को वाद वर्णित आराजीयात से जबरन अवैध रूप से बेदखल करें एवं आराजीयात को नष्ट भ्रष्ट इत्यादि कार्य नही करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (जिला–अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)